कार्यालय जिला बाल संरक्षण समिति
(जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग)
कलेक्ट्रेट परिसर अम्बिकापुर, जिला– सरगुजा (छ.ग.)

विज्ञापन

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में कर्मचारियों की आउट सोर्स से भर्ती के संबंध में विज्ञापन

एकीकृत बाल संरक्षण योजना के प्रावधानों व स्वीकृति अनुसार शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में विभिन्न पदों पर आउट सोर्स से भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक 7.7.2018 तक आवेदन आमंत्रित है। पद एवं आवेदन प्रकिया का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	बाल देखरेख संस्था का नाम	आवेदित पद का नाम	पद संख्या	शैक्षणिक आर्हता	एकमुश्त वेतन प्रतिमाह
1	बाल संप्रेक्षण गृह (बालिका)	गार्ड / केयर टेकर	3	10वीं पास	10000 / –
2	विशेष गृह (बालिका)	गार्ड / केयर टेकर	3	10वीं पास	10000 / –
3	विशेष गृह (बालक)	गार्ड / केयर टेकर	3	10वीं पास	10000 / –
4	प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक)	गार्ड / केयर टेकर	3	10वीं पास	10000 / –
	कुल पद		12		

चयन प्रकिया हेतु प्रथम चरण –

1. उपरोक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 7.7.2018 को प्रातः 11.00 बजे से कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अम्बिकापुर जिला–सरगुजा में नियुक्ति के प्रथम चरण में शिविर का आयोजन किया गया है।
2. उक्त शिविर में इच्छुक आवेदक अपना पंजीयन करा सकते हैं।
3. शिविर में आवेदकों का वजन एवं उचाई मापी जावेगी। जिसमें पुरूष गार्ड हेतु न्यूनतम उचाई 5'3 एवं वजन 50 कि.ग्रा. एवं महिला गार्ड हेतु न्यूनतम उचाई 5'1 एवं वजन 49 कि.ग्रा. निर्धारित किया गया है।
4. शिविर में आवेदकों के 10वीं की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र का जांच किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यकम अंतर्गत व्ही.टी.पी. से रजिस्टर्ड संस्था से गार्ड के ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक अपना प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
6. कंडिका 3 एवं 4 अनुसार पात्र होने वाले आवेदकों को उक्त दिनांक को ही कार्यालय से आवेदन उपलब्ध कराया जावेगा। जिसे पात्र आवेदक भरकर दिनांक 7.7.2018 को ही भरकर कार्यालय में जमा करेंगे।

उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्ते :–

1. यह आउट सोर्स के रूप में अनुबंध पर 01 वर्ष के लिए किया जावेगा। कार्य संतोषप्रद नही होने की दशा में बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी। यह अनुबंध पूर्णतः अस्थायी है।
2. आउट सोर्स के रूप में कार्यरत् कर्मचारी को एकमुश्त सेवा शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन / भत्ते की पात्रता नही होगी।
3. अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का शुल्क जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

कार्यालय जिला बाल संरक्षण समिति

(जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग)

कलेक्ट्रेट परिसर अम्बिकापुर, जिला– सरगुजा (छ.ग.)

4. उपरोक्त सभी पदों हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2018 की स्थिति में की जावेगी।
5. अनुबंधित पद में प्रत्येक अभ्यर्थी प्रतिदिन 08 घण्टे अपनी सेवाएं देंगे। आवश्यकतानुसार निर्धारित अवधि से अधिक सेवाएं ली जा सकती हैं।
6. आउट सोर्स के रूप में चयन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
7. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जावेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।
9. मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत व्ही.टी.पी. से रजिस्ट्रड संस्थान से गार्ड के ट्रेड में प्राप्त प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अतिरिक्त अंक का लाभ दिया जावेगा।
10. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्व प्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
11. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इसके संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
12. आउट सोर्स के रूप में अनुबंधित अभ्यर्थी शासकीय सेवक का दावा नही कर सकेंगे।
13. उपरोक्त उल्लेखित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवा आवेदन ना करें।
14. बालिकाओं की संस्था के लिए केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे/पात्र होंगे।
15. प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदित किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
16. निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।
17. **उपरोक्त पदों पर प्रथम चरण के पात्र आवेदकों हेतु चयन की प्रकिया निम्नानुसार होगी।**

पदनाम	
गार्ड/केयर टेकर	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 90 अंक 2. मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत व्ही. टी.पी. से रजिस्ट्रर्ड संस्थान से गार्ड के ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार को 10 अंक का लाभ दिया जावेगा।

कार्यालय जिला बाल संरक्षण समिति

(जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग)

कलेक्ट्रेट परिसर अम्बिकापुर, जिला– सरगुजा (छ.ग.)

उपरोक्तानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं सीएसएसडीएम अंतर्गत गार्ड के ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त के आधार पर अधिकतम प्राप्त अंकों की मेरिट सूची के आधार पर अंतिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।

18. प्राप्त अंको के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
19. विज्ञापन का विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट www.cg.gov.in अथवा www.cgwcd.gov.in तथा सरगुजा जिले के वेबसाईट www.surguja.nic.in पर देखी जा सकती है।
20. अपात्र अथवा मेरिट क्रम में न आने वाले अभ्यर्थियों को सूचना नही दी जायेगी। चुने हुए अभ्यर्थियों को मेल एवं एसएमएस से सूचना दी जायेगी। अतः सही मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जावे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा